झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/884/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **सोनरे सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु कुल रू० 104.17 लाख (रूपये एक करोड़ चार लाख सत्रह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत सोनरे सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु कुल रू० 104.17 लाख (रूपये एक करोड़ चार लाख सत्रह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. पुर्नस्थापन कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें :–

   i) सोनरे वीयर योजना के मुख्य नहर के चेन सं०– 0.00 से 470.00 चेन तक पुनर्स्थापन कार्य।

   ii) इसके अन्तर्गत पकरिया वितरणी के चेन सं०– 100 से 188 चेन, तेतराई वितरणी के चेन सं०– 0.00 से 135 एवं कोनवाई वितरणी के चेन सं०– 0.00 से 106.00 चेन तक पुनर्स्थापन कार्य।

   iii) सोनरे वीयर योजना के विभिन्न संरचनाओं का मरम्मति कार्य।

   iv) सोनरे वीयर योजना के D/S Slope में crated boulder बिछाने का कार्य।

   v) सोनरे वीयर योजना के D/S में Right Guide Bandh का निर्माण कार्य।

   vi) मुख्य नहर के चार स्थानों पर Inlet का निर्माण कार्य।

4. इस योजना की खरीफ रूपांकित सिंचाई क्षमता 2210 हे० है। योजना के पुनर्स्थापन के बाद रूपांकित सिंचाई क्षमता 2210 हे० खरीफ एवं 210 हे० रब्बी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी जिससे 26 ग्राम लाभान्वित होंगे।

5. पूर्व में इस योजना का पुनर्स्थापन कार्य वर्ष 1997–98 में किया गया था, जिसके अन्तर्गत बुढ़ी वितरणी के चेन 0.00 से चेन 98.00 एवं पकरिया वितरणी के चेन0.00 से 100.00 तक नहर तल की सफाई कार्य किया गया था।

6. प्रस्तावित पुनर्स्थापन कार्य वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

7. इस योजना पर होने वाला व्यय –

   (i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का

C:\sam\Node 5\L Kr\Sanlekh for Sonare 26.08.15.doc

पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), तथा

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर होगें तथा अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर, पलामू एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होगे।

9. इसके कार्यान्वियन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

11. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

12. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस कार्य हेतु निधि की निकासी पलामू कोषागार से की जायेगी।

14. इस कार्य के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/884/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/884/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक 1/पी०एम०सी०/कार्य/884/2015– 29/15-16 प्र०स्थी० /राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर, पलामू/ कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/15
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
21/09/15